राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या –2097/2014/जयपुर
2. अपील संख्या –2094/2014/जयपुर
3. अपील संख्या –2095/2014/जयपुर
4. अपील संख्या –2096/2014/जयपुर

मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड,
405, जयपुर सेंटर क्रासिंग–बी–2, बाईपास,
टोंक रोड, जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,
जोन–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक .....राजस्व की ओर से

श्री डी.पी.ओझा
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उक्त अपीलें केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 18A सपठित धारा 9 के तहत प्रस्तुत की गई है जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन–प्रथम वाणिज्यिक कर विभाग जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के अवधियों के लिये केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वैट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 25 एवं 61 के तहत पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.10.2014 को चुनौती दी गई है।

क्र. सं.	अपील सं.	क.नि.वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	योग
1	2094/2014	2010–11	2,63,92,650	1,26,68,472	5,27,85,300	9,18,46,422
2	2095/2014	2011–12	8,20,22,590	2,95,28,132	16,40,45,180	27,55,95,902
3	2096/2014	2012–13	11,11,23,887	2,66,69,733	22,22,47,774	36,00,41,394
4	2097/2014	2013–14	9,00,05,095	1,08,00,611	18,00,10,190	28,08,15,896

उपरोक्त प्रस्तुत चारों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावें।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवसायी कम्पनी सीमेन्ट की निर्माता कम्पनी है, जिसके राज्य में दो सीमेन्ट यूनिट है जिसमें से एक शंभूपुरा जिला चित्तौड़गढ़ एवं दूसरी कोटपूतली जिला जयपुर में स्थित है। इन दोनों ईकाइयों से निर्मित सीमेन्ट का विक्रय राज्य के भीतर तथा अन्तर्राज्यीय विक्रय के अलावा स्टॉक ट्रांसफर कर

लगातार.....2

अन्य राज्यों में भी विक्रय किया जाता है।

उपरोक्त अपीलाधीन कर निर्धारण आदेश वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 से सम्बन्धित है जो सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन वृत–जोन प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 सपठित वैट अधिनियम की धारा 25 के तहत दिनांक 28.10.2014 को पारित किये गये है, जिसमें अपीलार्थी कम्पनी की इन वर्षो में दिल्ली की ब्रांच को किये गये स्टॉक ट्रांसफर को अमान्य कर इसे राजस्थान राज्य से दिल्ली के अन्तिम क्रेताओं को सीधा अर्न्तराज्यीय विक्रय अवधारित कर उक्त चारों वर्षो में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3a में अन्तर्राज्यीय विक्रय मानते हुए कर, ब्याज एवं "**विक्रय**" को **ब्रांच ट्रांसफर** बताया जाना करापवंचन का कृत्य मानकर वैट अधिनियम की धारा 61 के तहत कर राशि की दुगुनी राशि की शास्ति भी आरोपित की गई है, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उक्त अपीलें प्रस्तुत की गई है।

3. प्रस्तुत अपीलों में मुख्य विवाद यह है कि अपीलार्थी कम्पनी के दिल्ली ब्रांच को किये गये स्टॉक ट्रांसफर के संव्यवहारों को केन्द्रीय अधिनियम की धारा **6A** के प्रावधान अनुसार, प्रमाणित करने के भार (Burden of Proof) का निर्वहन करते हुये अनिवार्य घोषणा पत्र '**एफ**' प्रस्तुत कर दिये जाने से क्षेत्राधिकार प्राप्त नियमित कर निर्धारण अधिकारी वृत–एन, जयपुर द्वारा जांच के पश्चात इन्हें स्वीकार कर वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 के कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 21.03.2013, 21.03.2014, 27.03.2016 एवं 29.07.2016 को वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किये हुये है जो अपील सुनवाई तक विधिक अस्तित्व में है जबकि उक्त विवादित आदेशों में पुनः उसी स्वीकृत एवं घोषणा पत्रों से समर्थित एवं प्रमाणित स्टॉक ट्रांसफर के संव्यवहारों को अन्तर्राज्यीय विक्रय होना अवधारित किया गया है। इसके अलावा वर्ष 2012–13 की अवधि के लिये Central Excise Dept. द्वारा Short Payment Of Duty के आरोप में जारी नोटिस में बताई गई उत्पाद शुल्क की राशि को विक्रय राशि मानते हुये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस राशि पर कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई है।

इस तरह अपील सुनवाई के समय विवादित स्टॉक ट्रांसफर के टर्नओवर पर दो अलग–अलग अधिकारियों द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश अस्तित्व में है जिसमें नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टॉक ट्रांसफर को केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपठित अधिनियम की धारा 24 के तहत पर्याप्त जांच के पश्चात स्वीकृत किया है वहीं प्रतिकरापवंचन वृताधिकारी द्वारा इसे अमान्य किया गया है।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रारंभ करते हुये कथन किया कि अपीलार्थी कम्पनी का प्रथम सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत जोन–I (जांच अधिकारी) द्वारा पंजीकृत कार्यालय, जयपुर में दिनांक 09.01.2013 को किया जाकर सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें केवल यह जानकारी ली गई थी कि अपीलार्थी की आदित्य सीमेन्ट के नाम से एक यूनिट शम्भूपुरा जिला–चित्तौड़गढ़ में है एवं द्वितीय यूनिट कोटपुतली जिला जयपुर में है तथा कम्पनी द्वारा सीमेन्ट की पैकिंग हेतु बैग्स की खरीद

लगातार.....3

सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे एवं प्रवेश कर के विवरण पत्रों के बारे में पूछताछ की गई थी उक्त जांच में किसी विक्रय सम्बन्धी या स्टॉक ट्रांसफर में अनियमितता होने का कोई उल्लेख नहीं था एवं न ही कोई अभियोग होने की सूचना दी गई थी।

इसके पश्चात पुनः लगभग 12 महीनों के बाद दिनांक 26.12.2013 को पुनः दूसरा सर्वेक्षण उन्हीं जांच अधिकारी द्वारा किया गया, जिसमें उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवचंन जयपुर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह जांच की गई थी कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क डिवीजन अलवर की प्रिवेन्टिव ब्रांच की ऑफिस रिपोर्ट संख्या 1468 दिनांक 25.02.2013 में शार्ट पेमेंट ऑफ ड्यूटी का जो प्रकरण कम्पनी के विरुद्ध बनाया गया था, उसकी डयूटी जमा हुई या नहीं। इस जांच में भी कम्पनी के विक्रय संव्यवहारों एवं स्टॉक ट्रांसफर सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं किया गया था। इस तरह जांच अधिकारी द्वारा कम्पनी के व्यवसाय की दो बार की गई जांच में कोई अभियोग नहीं बनाया गया था, जो जांच रिपोर्ट से प्रमाणित है। इस तरह बिना किसी अभियोग के प्रतिकरापवंचन वृत के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार ग्रहण किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही विधिशून्य होने से समस्त आदेश अपास्त योग्य होना बताया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 05.09.2013 को अपीलार्थी कम्पनी के प्रीतमपुरा, दिल्ली स्थित ब्रांच की जांच दिल्ली के वैट विभाग के अधिकारियों के साथ किया जाने का उल्लेख कर निर्धारण आदेश में किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि वहां की जांच पर विजय मूंदरा उपस्थित मिले, उन्होनें माल का आना एवं खाली होना तथा ट्रांसशीपमेंट होने के तथ्य बताये थे तथा वहां के समस्त खर्चे कम्पनी द्वारा वहन किया जाना बताया गया था। इसके पश्चात दिनांक 24.09.2013 को अपीलार्थी के दिल्ली स्थित दौलताबाद, गागरोन रोड ब्रांच की भी जांच करने का विवरण आदेश में अंकित किया है, जिसमें वर्णित किया है कि माल कोटपूतली से ट्रोलों के द्वारा डिलीवरी नोट के जरिये आता है तथा उसके बिल हैड ऑफिस SCO 4 सेक्टर 14 से बनाया जाना बताया गया था एवं यह भी बताया गया है कि वहां माल अनलोड किया जाता है तथा यहां भी खर्चों का वहन कम्पनी द्वारा ही किया जाना बताया था। इस तरह दिल्ली की ब्रांच की जांच पर भी कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी जो उक्त दोनों जांच रिपोर्ट से प्रमाणित है।

उक्त वर्णन के साथ विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच दिनांक 09.01.2013 एवं दिनांक 26.12.2013 जो कि कम्पनी के जयपुर स्थित कार्यालय में की गई थी उसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी एवं न ही दिल्ली के ब्रांच की जांच पर ऐसी कोई अनियमितता पाई गई जो उनके स्टॉक ट्रांसफर को गलत साबित करें या किसी प्रकार का डिपो नहीं होना साबित हो सके। इस तरह बिना किसी विपरीत साक्ष्य के प्रतिकरापवचंन वृत के सहायक आयुक्त द्वारा उनके स्टॉक ट्रांसफर को मनमाने तरीके से निरस्त कर इसे अन्तर्राज्यीय विक्रय बताकर कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई है जो अविधिक व न्याय के विरुद्ध बताते हुए समस्त आदेशों को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

लगातार.....4

कम्पनी के विद्वान अभिभाषक ने उक्त तथ्यात्मक स्थिति के अधीन विवादित आदेशों पर आपत्ति करते हुये अपील आधारों में दिये गये कथनों एवं विभिन्न तर्कों को बहस के दौरान प्रस्तुत किया, जो संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

1. यह कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किये जाने पर उनके द्वारा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी प्रारम्भिक आपत्ति (Preliminary Objection) करते हुये पूर्ण जवाब दिनांक 23.09.2014 एवं 28.10.2014 को प्रस्तुत कर दिया था परन्तु उस पर बिना विचार किये ही आदेश पारित कर दिये गये है जो प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार विहिन होने से अपास्त योग्य है।

2. यह कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा CST Act की धारा 6A के अनुसार समयावधि में विवरण पत्र मय एफ फार्म पेश कर दिये थे जिसे नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया हुआ था। इस तरह अपीलार्थी के विरुद्ध Evasion या Avoidance का कोई प्रकरण नहीं होने के बावजूद भी प्रतिकरापवंचन–वृत द्वारा क्षेत्राधिकार ग्रहण किया है जो अविधिक है। यह भी कथन किया है कि स्वयं के अधीन कार्यरत A.C.T.O से पत्रावली स्वयं को स्थानान्तरित करना आयुक्त, वाणिज्यिक कर के परिपत्र क्रमांकः P3(A) 10 Juridiction / Tax / Comm / 97 / 536 Dated 07.08.2001 के विरुद्ध है।

3. यह कथन किया कि अपीलार्थी फर्म राजस्थान राज्य में पंजीकृत फर्म है एवं अन्य राज्यों मध्यप्रदेश, उतरप्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली में डिपो संचालित है एवं वहां के वैट अधिनियम में पंजीकृत है तथा डिपों में स्थानान्तरित माल के विक्रय होने पर वहां के राज्य का वैट जमा करवाया जाता है, इस संबंध में दिल्ली में जमा कराये गये कर एवं कर निर्धारण आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत करते हुये दिल्ली के डिपो से किये गये विक्रय को वहां का स्थानीय विक्रय बताया।

4. विद्वान अभिभाषक ने स्टॉक ट्रांसफर को अन्य आधारों से भी प्रमाणित होना बताते हुये कथन किया कि दिल्ली के डिपो में माल ट्रांसफर करने के पहले दिल्ली वैट एक्ट के तहत Online घोषणा पत्र T-2 प्राप्त करना अनिवार्य है जो अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक ट्रांसफर के पहले दिल्ली के विक्रय कर विभाग में प्राप्त किये गये है। कथन किया कि यदि कोई विक्रय Interstate हो तो वहां के क्रेता द्वारा फार्म टी–2 एवं सी फार्म देना आवश्यक होता है जबकि उनके डिपो ट्रांसफर पर वहां का घोषणा पत्र टी–2 ब्रांच द्वारा ऑनलाइन लिये गये है एवं दिल्ली के डिपो तक परिवहन एवं वहां के लोडिंग व अनलोडिंग के खर्चे भी कम्पनी द्वारा वहन किये गये है जिसकी पुष्टि विवादित कर निर्धारण आदेशों में भी की गई है। इस तरह राजस्थान राज्य से माल का स्टॉक ट्रांसफर दिल्ली डिपो को किया जाना प्रमाणित है।

5. यह कथन किया कि उनके द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर स्टॉक ट्रांसफर के समर्थन में प्रत्येक ब्रांच से अनिवार्य प्रमाण पत्र **एफ** फार्म प्राप्त कर उसमें पूरे विवरण भरकर नियमित कर निर्धारण अधिकारी को पेश किये गये है इस तरह केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6A(1) & (2) में विहित Transfer of goods not by way of sale प्रमाणित करने का भार अपीलार्थी ने पूरा किया हुआ है।

लगातार.....5

यह कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा विभिन्न राज्यों में माल का ट्रांसफर किसी विशिष्ट पूर्व प्राप्त आदेश या अनुबंध के क्रम में किसी ग्राहक को नहीं किया है, बल्कि नियमित रुप से स्टॉक का ट्रांसफर विभिन्न शाखाओं को किया जाता है एवं सीमेन्ट एक Standard Goods होने से किसी विशिष्ट ग्राहक के लिये इसे नहीं भेजा जाता है बल्कि लगातार आपूर्ति डिपो को की जाती है।

7. कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने उनके स्टॉक ट्रांसफर से सम्बन्धित किसी भी संव्यवहार के दस्तावेजों की जांच नहीं की एवं एक भी साक्ष्य किसी ऑफिस या यूनिट या ट्रांसपोर्ट कम्पनी से प्राप्त नहीं किया जो उनके स्टॉक ट्रांसफर के संव्यवहार को झूठा साबित कर माल का अन्तर्राज्यीय विक्रय किया जाना साबित कर सके। उन्होने कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय Indian Rayon & Industries Ltd. Vs. CTO 1 STO Page 86 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के Tata Engineering and Locomotive Company Ltd. 26 STC Page 354 के निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि Branch Transfer को अस्वीकृत कर अन्तर्राज्यीय विक्रय मानने से पूर्व Each and Every Transacaion की जांच करना अनिवार्य है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने एक भी संव्यवहार की जांच नहीं की बल्कि अपीलार्थी द्वारा स्वयं के पक्ष में डिपो पर क्रय आदेश होने एवं स्वयं द्वारा माल डिपो भिजवाने तथा वहां से पुनः विभिन्न ग्राहकों को डिलीवरी दिये जाने के दस्तावेज दिये थे जो यह सिद्ध करते थे कि डिपो में नियमित रुप से क्रयादेश प्राप्त होते है एवं कम्पनी नियमित रुप से डिपो से माल विक्रय करती है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा स्वयं के पक्ष में दिये गये दस्तावेजों को अपीलार्थी के विरुद्ध बताकर सभी वर्षो के आदेशों में वर्ष 2013 के दस्तावेजों को प्रमाण के रुप में वर्णित कर दिया है, जबकि वर्ष 2013 के पूर्व के वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 से सम्बन्धित किसी दस्तावेज का हवाला नहीं दिया गया है। इस तरह स्वयं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई साक्ष्य जुटाये बिना सभी आदेशों में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये वर्ष 2013–14 के क्रयादेश, बिल्टी एवं चालान को गलत रुप से आदेश में अंकित किया गया है।

कथन किया कि अपीलार्थी कम्पनी के निम्न साक्ष्य उनकी ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर होने को प्रमाणित करते है।

1) There is a branch/depot at "Ambadeep Building. 1201, 12th Floor. K.G. Cnnoaught Place New Delhi maintained on its own expenditure.

2) Bulk quantiy has been despatched by Kotputli Cement Works, Kotputli and Aditya Cement Works. Shambhupura without reference to a particular contract of sale or a particular buyer.

3) Cement has been despatched from factory situated in Rajasthan to outside the state, not to a particular person or buyer.

4) Excise gate-passes were prepared in the name of Delhi branch/depot.

5) When the goods were despatched from Kotputli Cement Works. Kotputli and Aditya Cement Works. Shambhupura, the delivery challans were prepared its the name of Delhi branch/depot.

लगातार.....6

6) The transportation and Toll Tax from the assessee factories to Delhi branch depot have been paid by the assesses Company.

7) The transit insurance of the goods from the assessee factories to Delhi depot has been paid by the assessee Company.

8) The delivery of the cement was taken by the staff of the Delhi branch/ depot or by its clearing agent.

9) The property of goods remained with the assessee till they were sold by the Delhi branch/depot to any particular buyer on appropriation at the discretion of the depot.

10) Delivery, of goods subsequently made by the Delhi branch/depot to various buyers by their own delivery orders challans.

11) Delivery order and challans are prepared by the Delhi branch/depot after receipt of goods. The Delhi branch/depot is registered under the Delhi State for Sales Tax and has been assessed to S.T. in their respective states.

12) Cement dispatched is a **Standard Product** and not manufactured according to specification of a particular customer nor particular goods were meant for a particular customer so as to exclude the possibility of any diversion.

13) Delhi branch/depot manager has discretion to deliver the goods in any quantity or any customer of his choice.

14) The Delhi branch/depot manager has absolute discretion to supply goods from stock lying at godown of sales office at Delhi situated outside Rajasthan.

15) None of the contents of F' forms produced were found incorrect.

16) Assessments were done after due scrutiny.

8. यह कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने स्वयं ने अपने आदेश में स्टॉक ट्रांसफर के लिये जो शर्ते या परिस्थितियां होना आवश्यक बताया है वे उनके मामले में पूर्ण रुप से पाई गई है एवं कर निर्धारण आदेश में भी वर्णित है। यह भी कथन किया कि उनके द्वारा स्टॉक ट्रांसफर करने पर Central Excise नियम अनुसार डिपो के लिये ही चालान बनाये जाते है क्योंकि ये विधिक रुप से अनिवार्य है।

9. कथन किया कि कम्पनी द्वारा माल का ट्रांसफर केवल ट्रक-ट्रोले के माध्यम से नहीं कर रेल्वे के जरिये भी किया जाता है जिसका विवरण कर निर्धारण अधिकारी को दे दिया था। उन्होने कथन किया कि जो Purchase Order दिल्ली Branch को प्राप्त हुये जिनका हवाला आदेश में दिया गया है वे सभी Bulk Orders दिल्ली की शाखा को दिये गये थे एवं डिपो से माल की डिलीवरी दी जाती थी एवं कम्पनी द्वारा प्रतिदिन भेजे गये माल को डिपो Sale की सुविधानुसार कई बार उसी वाहन से आगे दिल्ली में डिलीवरी दी जा सकती है परन्तु वह माल कम्पनी द्वारा किसी विशेष ग्राहक के लिये नहीं भेजा गया था और न ही ऐसा कोई साक्ष्य जांच अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी स्वयं ने दिया है। कथन किया कि अपीलार्थी ने समय-समय पर चाहे गये प्रत्येक दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये थे जबकि उन्होनें पूर्णतया गलत आरोप लगाया है कि उन्होनें दस्तावेज पेश नहीं किये।

लगातार.....7

यह भी कथन किया कि जिन मामलों में दिल्ली स्थित ग्राहकों से कम्पनी को सीधे आदेश प्राप्त हुये थे उन्हें कम्पनी ने राजस्थान से Interstate sale करते हुये कर वूसल किया था एवं **सी फार्म** भी प्राप्त किये हुये है जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश में कोई वर्णन नहीं किया है। इस तरह कम्पनी द्वारा Stock Transfer एवं Interstate Sale अलग अलग की हुई है।

10. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जिन तीन न्यायिक निर्णयों के आधार पर उनके Branch Transfer को Interstate Sale में परिवर्तित किया है, उन तीनों ही निर्णयों के प्रकरणों में ग्राहकों के लिये विशिष्ट गुड्स एवं ग्राहक का स्पष्ट क्रय आदेश के साक्ष्य एवं ट्रांसपोर्टेशन खर्चे एवं सीधे डिलीवरी के साक्ष्य पाये जाने के आधार पर Stock Transfer को Interstate प्रमाणित किया गया था जबकि अपीलार्थी के मामले में जांच अधिकारी या कर निर्धारण अधिकारी ने एक भी ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं किया है जो कम्पनी के स्टॉक ट्रांसफर को विक्रय साबित कर सकें।

11. कथन किया कि अपीलार्थी का उत्पादित माल सीमेंट है जो एक Standard Product है एंव माननीय उच्चतम न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि When there is a dispatch from factory to branch of standard goods without refrence to any particular customer the movement of goods from factory to the branch can not be located as an interstate sale. अपने पक्ष में निम्न निर्णयों के दृष्टांत पेश किये :–

i. Tata Motors Ltd. Vs. State of Jharkhand - 24 VST 167 (CSTAA).

ii. Ahura Welding Electrode Mfgrs Ltd. Vs. State of Tamil Nadu - 115 STC 627 (Mad. HC).

iii. Kelvinator of India Ltd. Vs. The State of Haryana_XXXII STC 629 (SC).

iv. State of Andhra Pradesh Vs. Coromandel Paints & Chemicals Ltd. 98 STC 82 (APHC).

v. State of Karnataka Vs. Jindal Aluminium Limited - 126 STC Page 458 (Kar.HC)

vi. Associates Cement Companies Ltd. Vs. State of Orissa 13 VST Page 90 (Orissa HC)

vii. Associated Cement Companies Ltd. Vs. Assistant Commissioner (CT) (FAC), Coimbatore and 23 VST Page 486.

viii. State of Tamil Nadu Vs. Coimbatore Pioneer Rolling Mills and another 30 VST Page 524 (Mad.HC).

उन्होनें कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ACCT, Bhiwadi Vs. Alfa Woven Labels (India) Pvt. Ltd. reported in 25 VAT Reporter page 261 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :–

Stock transfer from factory in Rajasthan to Head Office at Delhi - Manufactured goods were sent from Bhiwadi factory to Head Office at Delhi. Mere allegation that the respondent manufactured the goods as per the specification of some of the buyers, is not sufficient to convert the stock transfer into inter-State sales in the absence of any other material on record. **Since the goods in question did not move out of the State in relation to any pre-existing contract of sale between the respondent and ultimate**

लगातार.....8

buyer outside the State, the consignment of goods made by HO to the ultimate buyer outside the State cannot be termed to be the Inter-State sales. S.3(a), CST Act, 1956.

विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि प्रतिकरापवंचन वृत के अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच के धारा 6A में Stock Transfer को अस्वीकृत किया है जबकि उनके द्वारा धारा 6A(1) की अनिवार्य शर्त की पूर्ति हो जाने के पश्चात एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके Stock Transfer को स्वीकार किये जाने के पश्चात *माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स अशोक लेलैंड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2004) 134 STC 473 के निर्णय अनुसार एक Conclusive Evidence माना गया है जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः आक्षेप ही नहीं किया जा सकता है।*

12. विद्वान अभिभाषक ने अपने जवाब के साथ दिल्ली के गोदाम के किराये, लोडिंग अनलोडिंग के खर्चो के वर्षवार विवरण, सम्बन्धित अंकेक्षक के प्रमाण पत्र, डिपो के प्रतिदिन के स्टॉक रजिस्टर एवं माल के आवक जावक विवरण तथा आदेश में वर्णित Purchase Order की प्रतियां एवं दिल्ली के कर निर्धारण आदेशों की प्रतियां पेश कर डिपो को किये गये स्टॉक ट्रांसफर को पूर्णतया विधिक बताया एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश कल्पनाओं के अधीन Presumption & Assumption के आधार पर किया जाना बताया। इसके अतिरिक्त विद्वान अभिभाषक ने नियमित कर निर्धारण अधिकारी वृत—एन द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां पेश करते हुये कथन किया कि उक्त अवधियों के कर निर्धारण आदेश नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये हुये है जिनमें धारा 6A के तहत स्टॉक ट्रांसफर के क्लेम को स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में किसी एक भी विपरीत साक्ष्य के बिना धारा 6A(2) & 6A(3) अनुसार Re-assessment नहीं किया जा सकता अतः प्रतिकरापवंचन वृत के अधिकारी द्वारा उसी टर्न—ओवर पर Second Assesment को अविधिक बताते हुये इन्हें अपास्त करने का अनुरोध किया।

13. कर निर्धारण आदेश में आरोपित शास्ति को अविधिक बताते हुये कथन किया कि उनके द्वारा समस्त संव्यवहार बहियात एवं रिर्टन में प्रदर्शित होने के साथ ही नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सत्य स्वीकार करते हुये कर निर्धारण आदेश पारित किये हुये थे इसके बावजूद भी वैट अधिनियम की धारा 61 में शास्ति आरोपित की है जो अविधिक है अपने कथन के समर्थन में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के दृष्टांत भी पेश किये।

14. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वर्ष 2012—13 में Central Excise Dept. द्वारा कम्पनी को ड्यूटी की कम गणना किये जाने का आरोप लगाते हुये जो Showcase नोटिस जारी किया था उसका जवाब Excise विभाग को दे दिया गया था एवं विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं किया था ऐसी हालत में उस नोटिस में दर्शाई विवादित ड्यूटी की राशि को विक्रय मूल्य का भाग बताकर उस पर मनमाने रुप से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण करने के आदेश को गलत बताते हुये कथन किया कि यह मान भी ले कि विवादित रुप से एक्साइज डयूटी कम जमा की गई है तब भी विक्रय कर अधिनियम में कर का दायित्व विक्रय संव्यवहार में प्राप्त विक्रय मूल्य पर होता है, जबकि अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत माल कम भाव या

लगातार.....9

Under Billing से विक्रय करना नहीं पाया गया है तो Excise Duty की राशी को विक्रय मूल्य में जोडने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है अतः वर्ष 2012–13 में इस बिन्दु पर किये गये करारोपण को निरस्त करने का अनुरोध किया।

विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वर्ष 2013–14 में जो क्रयादेश दिल्ली ब्रांच को प्राप्त हुये थे, उनको कम्पनी द्वारा स्वयं ने कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर यह बताया था कि दिल्ली ब्रांच को नियमित रुप से Bulk Order प्राप्त होते है उसके लिये अलग से कोई माल राजस्थान से सीधे गमनागमन नहीं करवाया जाता है एवं न ही किसी विशिष्टि आदेश के लिये माल का ट्रांसफर किया जाता है, बल्कि माल के नियमित स्थानान्तरण से जो माल दिल्ली जाता है उसी को कई बार स्थानीय ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को बचाने के लिये दिल्ली के ग्राहक को ब्रांच द्वारा उसी वाहन से माल आगे भेज दिया जाता है, परन्तु कभी भी कोई भी माल राजस्थान से किसी ग्राहक के आदेश या अनुबन्ध के अनुसरण में प्रेषित नहीं किया जाता है।

यह भी कथन किया कि ऐसे 4–5 क्रयादेश एवं बिल्टियां जो अपीलार्थी ने इस प्रमाण के लिये पेश किये थे कि दिल्ली डिपो को नियमित रुप से माल की आवश्यकतानुसार सप्लाई करने के आदेश विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त होते हैं, जिसमें माल की डिलीवरी दिल्ली डिपो से लेने एवं डिपो से ग्राहक तक के खर्चे सहित आर्डर प्राप्त होते है, उसमें राजस्थान से किसी माल का आने का अनुबंध नहीं रहता है बल्कि उनकी जरुरत अनुसार माल की डिलीवरी दिल्ली डिपो से ली जाती है, जो कभी गोदाम से एवं कभी उसी दिन आये ट्रक या रेलवे से प्राप्त माल से सीधे ग्राहक को दे दी जाती है जो मात्र सुविधानुसार एवं समयानुसार डिलीवरी देने के लिये होता है। इस तरह जो दस्तावेज अपीलार्थी ने कर निर्धारण अधिकारी को स्वयं के पक्ष में प्रस्तुत किये थे उन्हें बिना किसी आधार के या उसकी कोई अग्रिम जांच किये बिना डिपो के पूरे माल के विक्रय पर कर आरोपित कर दिया गया है, यहां तक कि पूर्व के वर्षों 2010–11 से 2012–13 के भी पूरे स्टॉक ट्रांसफर को बिना किसी जांच एवं साक्ष्य के प्रतिकरापवंचन के अधिकारी द्वारा अलग आदेश पारित कर पूरी बिक्री केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(a) के तहत अन्तर्राज्यीय विक्रय माना गया है, जबकि इन वर्षों में नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में स्टॉक ट्रांसफर को उचित पाया गया था।

उक्त कथनों व तर्को के साथ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलाधीन आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

15. विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलाधीन आदेशों का समर्थन किया।

16. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलाधीन आदेशों के संदर्भ में प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों यथा सर्वेक्षण रिपोर्ट, दिल्ली के डिपो की जांच रिपोर्ट, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत डिपो सम्बन्धी दस्तावेजों एवं नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी की अपील सुनवाई तक आलौच्य अवधियों के लिये दो प्रकार के कर निर्धारण आदेश अस्तित्व में है जो निम्न प्रकार है :–

a) प्रथम प्रकार के आदेश नियमित कर निर्धारण आदेश है जो अपीलार्थी कम्पनी के प्राधिकृत कर निर्धारण अधिकारी (सहायक आयुक्त–वृत–एन) द्वारा C.S.T Act की धारा 9 सपठित वैट अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किये हुये है, जिसमें धारा 6A में वांछित प्रमाणीकरण

लगातार.....10

का भार व्यवहारी द्वारा निर्वहन कर घोषणा पत्र **एफ** प्रस्तुत कर देने से माल का स्टॉक ट्रांसफर होना स्वीकार कर ट्रांसफर ऑफ गुड्स पर करदेयता नहीं मानने का निर्णय कर वर्ष 2010—11 से वर्ष 2013—14 के आदेश पारित किये हुये है।

b) इसी अवधि के दूसरे प्रकार के कर निर्धारण आदेश उक्त अपीलाधीन आदेश है जो प्रतिकरापवंचन वृत के अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 25 के तहत पारित किये गये है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा किये गये स्टॉक ट्रांसफर को अस्वीकार करते हुये दिल्ली ब्रांच को किये गये स्टॉक ट्रांसफर को राजस्थान से सीधा अर्न्तराज्यीय विक्रय दिल्ली के ग्राहकों को किया जाना मानकर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3(a) एवं धारा 6 के तहत अन्तर्राज्यीय कर, ब्याज एवं करवंचना के अपराध में वैट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है।

17. अपीलाधीन आदेशों के अवलोकन पर पाया कि इनके प्रथम, द्वितीय व तृतीय पृष्ठ पर कम्पनी के हैड ऑफिस का सर्वेक्षण करने का वर्णन किया गया है परन्तु इस वर्णन में कम्पनी के विरुद्ध किसी भी स्टॉक ट्रांसफर या विक्रय सम्बन्धी कोई अनियमितता होने का उल्लेख नहीं है। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रथम सर्वेक्षण रिपोर्ट में Packing Bags पर प्रवेश कर सम्बन्धी सूचना चाही गई थी एवं दूसरी रिपोर्ट में केवल अलवर स्थित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा कम उत्पाद शुल्क जमा कराने के आरोप में जारी नोटिस पर पूछताछ की गई थी एवं कम्पनी द्वारा देय उत्पाद शुल्क जमा होने का विवरण मांगा गया था। इस तरह विवादित कर निर्धारण आदेशों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम्पनी के सर्वेक्षण में किसी विक्रय या किसी स्टॉक ट्रांसफर के बारे में कोई पूछताछ नहीं की गई थी एवं न ही किसी अनियिमितता का अभियोग स्थापित किया था।

कर निर्धारण आदेश के पृष्ठ 2 एवं 3 में दिल्ली की डिपो की दिनांक 05.09.2013 एवं दिनांक 24.09.2013 की जांच का उल्लेख किया है, उसमें यह अंकित किया है कि "एक स्थान पर श्री विजय भूदरा हाजिर थे जिन्होनें माल की आवक राजस्थान से स्टॉक ट्रांसफर के रुप में आने एवं कम्पनी के अन्य राज्यों की यूनिट से भी स्टॉक ट्रांसफर आना बताया था एवं माल आने पर उसका Transhipment होना तथा गोदाम में उतरना दोनों तथ्य प्रकट किये गये थे।" उसी तरह दिनांक 24.09.2013 को दौलताबाद रोड गागरोन के गोदाम पर की गई जांच के बारे में उल्लेख किया है कि "इन्चार्ज" से पूछताछ करने पर बताया है कि माल ट्रोलों के द्वारा आता है तथा डिलीवरी नोट द्वारा डिस्पेच किया जाता है, जिसके बिल हैड ऑफिस—4 सेक्टर—14 से बनाये जाते है तथा आये माल को क्रोसिंग से भेजना एवं माल गोदाम में अनलोड करना बताया था। इसी उल्लेख में यह भी अंकित किया है कि इन्चार्ज ने अनलोडिंग एवं क्रोसिंग सम्बन्धी खर्चे कम्पनी द्वारा वहन किया जाना बताया है।

इस तरह जांच अधिकारी की दोनों सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं दिल्ली की जांच रिपोर्ट में एक भी तथ्य या साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है जो ब्रांच ट्रांसफर के प्रमाणों के विरूद्ध है तथा कर निर्धारण आदेश के प्रथम तीन पृष्ठों पर जो तथ्यात्मक रिपोर्ट वर्णित की गई है, उसमें भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है जो कम्पनी के स्टॉक ट्रांसफर के लिये किये गये परिवहन को सीधा ग्राहकों को किये जाने वाला परिवहन बता सकें।

लगातार.....11

उक्त प्रकरण में निर्णय के पूर्व सी.एस.टी. एक्ट की सुसंगत धाराओं का उद्धरण किया जाना उचित होगा, जिसके तहत अन्तर्राज्यीय ट्रांसफर ऑफ गुड्स को विक्रय से भिन्न माना जाने संबधी प्रावधान किये गये है :–

S.6A. <u>Burden of proof, etc., in case of transfer of goods claimed otherwise than by way of sale</u> :-

(I) Where any dealer claims that he is not liable to pay tax under this Act, in respect of any goods, on the ground that the movement of such goods, from one State to another was occasioned by reason of transfer of such goods by him to any other place of his business or to his agent or principal, as the case may be, and not by reason of sale, the burden of proving that the movement of those goods was so occasioned shall be on that dealer and for this purpose he may furnish to the assessing authority, within the prescribed time or within such further time as that authority may, for sufficient cause, permit, a declaration, duly filled and signed by the principal officer of the other place of business, or his agent or principal, as the case may be, containing the prescribed particulars in the prescribed form obtained from the prescribed authority, along with the evidence of despatch of such goods "and if the dealer fails to furnish such declaration, then, the movement of such goods shall be deemed for all purposes of this Act to have been occasioned as a result of sale".

(2) If the assessing authority is satisfied after making such inquiry as he may deem necessary that the particulars contained in the declaration furnished by a dealer under subsection (1) are true and that no inter-State sale has been effected, he may, at the time of, or at any time before, the assessment of the tax payable by the dealer under this Act, make an order to that effect and thereupon the movement of goods to which the declaration relates shall, subject to the provisions of sub-section (3) be deemed for the purposes of this Act to have been occasioned otherwise than as a result of sale.

(3) Nothing contained in sub-section (2) shall preclude reassessment by the assessing authority on the ground of discovery of new facts or revision by a higher authority on the ground that the findings of the assessing authority are contrary to law, and such reassessment or revision may be done in accordance with the provisions of general sales tax law of the State."

Explanation:- In this section, "assessing authority", in relation to a dealer, means the authority for the time being competent to assess the tax payable by the dealer under this Act.

उपरोक्त धारा में स्टॉक ट्रांसफर को विक्रय नहीं मानने सम्बन्धी परिस्थितियां एवं अनिवार्य प्रमाणीकरण का भार व्यवहारी पर होने संबंधी एवं इसके निर्वहन के पश्चात स्टॉक ट्रांसफर का संव्यवहार स्वतः स्वीकार योग्य माने जाने के प्रावधान किये गये है। इसके साथ ही CST Act की धारा 3 का उद्धरण किया जाना भी समीचीन होगा जो अन्तर्राज्यीय Movement of Goods को विक्रय के रुप में परिभाषित करता है।

S.3 When is a sale or purchase of goods said to take place in the course of inter-State trade or commerce.- A sale or purchase of goods shall be deemed to take place in the course of inter-State trade or commerce if the sale or purchase-

लगातार.....12

(a) Occasions the movement of goods from one State to another; or

(b) Is effected by a transfer of documents of title to the goods during their movement from one State to another.

Explanation-1.-Where goods are delivered to a carrier or other bailee for transmission, the movement of the goods shall, for the purposes of clause (b), be deemed to commence at the time of such delivery and terminate at the time when delivery is taken from such carrier or bailee.

Explanation-2.- Where the movement of goods commences and terminates in the same Stateit shall not be deemed to be a movement of goods from one State to another by reason merely of the fact that in the course of such movement the goods pass through the territory of any other State.

18. केन्द्रीय अधिनियम की उक्त धाराओं में किसी माल को राज्य के बाहर जाने पर वह कब विक्रय माना जायेगा (3a) एवं कब माल राज्य के बाहर जाने पर भी विक्रय की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होगा (6A) के प्रावधान किये हुये है। इस सम्बन्ध में पुनः यह उल्लेख किया जाता है कि उक्त धारा (6A) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यवहारी अगर माल को राज्य के बाहर भिजवाना "**विक्रय**" से भिन्न क्लेम करता है अर्थात केवल स्टॉक ट्रांसफर Not by way of sale क्लेम करता है तो उस तथ्य को प्रमाणित करने का भार व्यवहारी पर रखा गया है एवं इस भार को अन्तिम रुप से प्रमाणित स्वीकार करने के लिये घोषणा पत्र **एफ** को केन्द्रीय अधिनियम, 1956 की धारा 6A के तहत दिनांक 11.05.2002 से प्रमाण के रुप में प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें समस्त प्रविष्टियां भरकर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश की जानी होती है एवं घोषणा पत्र **एफ** की जांच के पश्चात यदि कर निर्धारण अधिकारी (6A के Explanation के अनुसार नियमित क्षेत्राधिकार प्राप्त कर निर्धारण अधिकारी) संतुष्ट हो जाते है कि राज्य के बाहर माल का ट्रान्सफर **विक्रय** संव्यवहार से अन्यथा हुआ है तब वह Deemed for the purpose of this Act to have been Occasioned otherwise than as a result of Sale माना जायेगा। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स अशोका लेलैंड के प्रकरण में विस्तृत विवेचना की गई है कि एक बार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टॉक ट्रांसफर स्वीकार करने के पश्चात उस निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता।

यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के **'अशोक लेलैंड'** के निर्णय के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा वित्त बिल 2010 के जरिये धारा 6A में उपधारा (3) को जोडकर यह प्रावधान किया गया कि उपधारा 2 के होते हुये भी यदि ऐसे कोई नये तथ्य Discover होते है जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेशों को विधिविरुद्ध प्रमाणित करें तब उन कर निर्धारण आदेशों को Re-assess किया जा सकता है।

उक्त तथ्यात्मक विवेचन एवं सुसंगत विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अपीलार्थी व्यवसायी के द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों एवं **घोषणा पत्र एफ** को सत्य मानते हुये पूर्ण जांच के पश्चात नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रैमासिक विवरण पत्र स्वीकार किये जाते है तो बाद में उन्हें तभी Re-assess किया जा सकता है जब कोई ऐसे साक्ष्य Discover हो जो किसी संव्यवहार को धारा 6A(3) के तहत होना गलत साबित कर सकें।

लगातार.....13

उक्त धाराओं के विश्लेषण पर यह अभिप्रेत है कि माल का गमनागमन एवं ट्रांसफर को **विक्रय** संव्यवहार नहीं होने को साबित करने का भार धारा 6A में व्यवहारी पर रखा गया है परन्तु उसके प्रमाणित करने के भार के निर्वहन करने के बाद यदि उस संव्यवहार को स्टॉक ट्रांसफर के स्थान पर सीधा विक्रय मानते हुये धारा 3(a) में विक्रय मानकर करारोपण करना चाहें तब उसे **विक्रय** प्रमाणित करने का भार कर निर्धारण अधिकारी (अर्थात् विभाग) का होगा।

केन्द्रीय अधिनियम की धारा 2(g) के अनुसार केवल वे संव्यवहार **विक्रय** माने जायेंगे जो दो भिन्न व्यक्तियों के मध्य किसी अनुबंध के तहत, किसी मूल्य के लिये किये जाते है। स्पष्ट है यदि दो राज्यों के बीच माल का गमनागमन धारा 3 के अनुसार क्रय या विक्रय के अनुबंध के अधीन होता है तो वह संव्यवहार अधिनियम की धारा 6 के तहत कर योग्य होगा।

उक्त विधिक प्रावधानों के विवेचन के आलोक में विवादित कर निर्धारण आदेशों के अक्षरशः पठन पर पाया कि जांच अधिकारी की दोनों सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 09.01.2013 एवं 26.12.2013 तथा दिल्ली के डिपो की रिपोर्ट दिनांक 05.09.2013 एवं दिनांक 12.09.2013 में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं बताया गया है और न ही कर निर्धारण आदेशों में विशिष्ट रुप से ऐसा कोई साक्ष्य बताया गया है कि उन्हें धारा 6A(3) के प्रावधान में वाछिंत शर्त अनुसार कोई ऐसे तथ्य Discover हो जो पूर्व में पारित वर्ष 2010—11 एवं वर्ष 2011—12 के आदेशों में कोई त्रुटि होना बता सकें। इसी तरह वर्ष 2012—13 एवं 2013—14 के विवरण पत्रों को मय घोषणा पत्र प्रस्तुत होने एवं उसे नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार नहीं करने तथा उसके पश्चात नियमित कर निर्धारण आदेश पारित कर यह प्रमाणित करने पर कि अपीलार्थी का माल ट्रांसफर Not by reason of sale हुआ है तब उसे किसी एक भी साक्ष्य के बिना निरस्त किया जाना धारा 6A(2) & (3) के प्रावधानों के विरुद्ध है।

विवादित कर निर्धारण आदेशों में स्टॉक ट्रांसफर साबित करने के लिये जो आवश्यक बिन्दु बताये है (जो आदेश के पृष्ठ 21 पर लिखे गये है) इन सब बिन्दुओं की पालना होने का उल्लेख स्वयं कर निर्धारण अधिकारी ने दिल्ली की ब्रांच की जांच के वर्णन में ही दे दिया है कि दिल्ली में ब्रांच है एवं Excise Gate Pass Branch के नाम से जारी होते है एवं Transportation एवं चुंगी के खर्चे कम्पनी द्वारा ही वहन किये जाते है एवं ब्रांच द्वारा विभिन्न क्रेताओं को डिलीवरी स्वयं के डिलीवरी चालान से दी जाती है। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में ही अपीलार्थी द्वारा ब्रांच ट्रांसफर के लिये वाछिंत शर्तो की पालना होना अंकित किया हुआ है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के साक्ष्य जुटाने का परिश्रम नहीं किया गया है जो अपीलार्थी के स्टॉक ट्रांसफर को किसी ग्राहक को सीधा भिजवाया जाना प्रमाणित कर सकें। अपीलार्थी की ओर से स्वयं के पक्ष में प्रस्तुत दस्तावेजों का ही विवरण अंकित करते हुये कर निर्धारण अधिकारी ने स्टॉक ट्रांसफर को अस्वीकार कर विक्रय मान लिया है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये क्रयादेश जो पत्रावली पर उपलब्ध है उनका अवलोकन करने पर पाया कि ये आदेश दिल्ली की शाखा को सीमेन्ट की नियमित सप्लाई के लिये दिये गये थे, जिसमें माल की डिलीवरी दिल्ली की शाखा से दिल्ली में ग्राहकों को उनके बताये स्थानों पर दी जानी थी तथा आदेशों में माल पर दिल्ली का

लगातार.....14

स्थानीय वैट दिये जाने की शर्त भी उल्लेखित है तथा माल की डिलीवरी दिल्ली की शाखा द्वारा ही की जानी थी एवं इन आदेशों में माल का परिवहन राजस्थान से आने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है बल्कि दिल्ली डिपो से माल लेने एवं स्थानीय कर देने का स्पष्ट उल्लेख है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि किसी भी ग्राहक द्वारा माल राज्य के बाहर से सीधे लाये जाने का अनुबंध नहीं था। यह भी उल्लेखनीय है कि सीमेन्ट एक Standard Goods होने से कोई विशिष्ट माल एक ग्राहक के लिये ही प्रेषित करना आवश्यक नहीं था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में माल की डिलीवरी दिल्ली कार्यालय से दिया जाना एवं दिल्ली ब्रांच से बिल जारी कर दिल्ली का कर जमा करवाना तथा राज्य के Excise Gate Pass से किसी अन्य के नाम जारी नहीं होने के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे। इस तरह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाणों को बिना किसी विपरीत साक्ष्य के दिल्ली के संपूर्ण स्टॉक ट्रांसफर को **विक्रय** बता दिया गया, जो अनुचित एवं अविधिक है। यह टिप्पणी करना भी उचित है कि वर्ष 2013–14 के दस्तावेजों के आधार पर पूर्ववर्ती वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 के संव्यवहार को भी बिना किसी आधार के विक्रय मानते हुये कर ब्याज व शास्ति आरोपित किया जाना यह प्रमाणित करता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से मांग सृजित की गई है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2012–13 में Excise Dept. के नोटिस में लगाये आरोपों के आधार पर Short Payment or Duty की राशि पर भी कर आरोपित कर दिया है जिसका निर्णय Excise Dept. द्वारा भी नहीं किया गया था एवं कर निर्धारण अधिकारी ने यह जानने का प्रयास भी नहीं किया है कि उस विभाग द्वारा इसका क्या निर्णय किया गया। यह टिप्पणी करना उचित होगा कि यदि Excise Dept. के नोटिस के अनुसार तकनीकी तौर पर ड्यूटी कम दर से भरी गई थी तब भी विक्रय कर पर इसका कोई प्रभाव तब तक नहीं होता है जब तक माल के विक्रय पर उसकी राशि कम बताकर Under Billing या Without Bill कर दी जाती है क्योंकि विक्रय कर में कर का दायित्व संव्यवहार की विक्रय मूल्य पर निर्धारित होता है एवं यदि एक्साईज ड्यूटी जमा करवाये बिना या उसकी तकनीकी Avoidence करने पर भी यदि वह माल सही मूल्य से विक्रय किया जाता है तो विक्रय कर की राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अपीलार्थी की ओर से यह भी बताया गया है कि एक्साईज के मामले में भी इस बिन्दु पर दिये गये नोटिस पर कोई आदेश नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई श्रम किये एवं उचित विधिक या तथ्यात्मक आधार के ही उस राशि पर कर आरोपित कर दिया, जो सामान्य विधिक रुप से भी अनुमत नहीं है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी ने विक्रय मूल्य में कमी होने का कोई उल्लेख भी नहीं किया है। अतः वर्ष 2012–13 में Excise Dept. के नोटिस के आधार पर किया गया करारोपण अविधिक है।

19. कर निर्धारण आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टॉक ट्रांसफर को विक्रय घोषित करने के लिये जिन तीन माननीय न्यायिक निर्णयों को आधार बनाया गया है, एवं उन प्रकरणों के तथ्यों को इस प्रकरण के तथ्यों से समान बताया है उसका अध्ययन किया गया जो निम्न प्रकार है :–

लगातार.....15

1. English Electric Company Ltd. Vs. CTO (1976) 38 STC 475 (SC) :-

It is important to note that all prices were shown F.O.R. Madras and it was further stated that all goods would be despatched at the risk of the Bombay buyer. It is in this context that the Bombay buyer on 27 May, 1964 placed an order with the Bombay branch accepting all the terms and conditions. The Bombay branch placed an indent order addressed to the Madras branch giving all the particulars and stated the buyer's name as Asha Metal Works, Bombay and gave the customer's order number and the date viz., 27 May, 1964. The goods were to be invoiced to the Bombay branch and the goods were to be despatched F.O.R. Madras. The Bombay branch wrote to the Bombay buyer on 28 August 1964 that they had received an invoice from the factory at the Madras 'branch that some of the goods against the order of the Bombay buyer were ready for despatch. The Bombay branch asked the Bombay buyer to give the details of des- patch and insurance instructions per return of post. The Bombay branch thereafter wrote to the Madras branch factory stating "Please despatch the equipment covered by our above' indent by goods train to Bhandup Railway Stastion freight to pay. The Railway Receipt and other documents to be sent to us for disposal". The Madras branch factory despatched the goods from Madras to Bombay by goods train and gave intima- tion to the Bombay 'branch. The goods were delivered to the Bombay buyer at Bhandup through clearing agents.

The goods were despatched from Madras at the risk of the buyer to Bombay. The goods were insured and insurance charges were collected from the buyer at Bombay. The freight charged from Madras to Bombay was borne by the buyer. The movement of the goods from Madras was an inci- dent of the contract of sale.

उक्त प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा यह साक्ष्य प्राप्त किये गये थे कि माल किसी विशिष्ट ग्राहक को सीधे भिजवाया गया था एवं उसके समस्त Insaurance एवं भाड़े के खर्चे सीधे ग्राहकों द्वारा वहन किये गये थे, जबकि प्रस्तुत प्रकरणों में ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं किये है।

2. Sahni Steel and Press Works vs. CTO (1985) 60 STC 301

While making the assessment order for the assessment year 1979-80, the Commercial Tax Officer found that the branch offices of the company, after procuring orders for the supply of goods with definite specifications and drawings advised the registered office at Hyderabad to manufacture and supply the goods in accordance therewith. After the goods were so manufactured in the factory at Hyderabad, the registered office despatched the goods to the branches. The goods were collected by the branch offices and despatched to various customers according to the orders received earlier. The Commercial Tax Officer also found that except for the manufacture of goods according to the specifications received from the customers at the registered office and factory at Hyderabad, also other activities including that of booking orders, sales despatching, billing and receiving of the sale price were being carried on by the branch offices situated outside the State of Andhra Pradesh. In the opinion of the Commercial Tax Officer the movement of the goods from Hyderabad to the stations outside the State was an incident of the contract incorporated in the specific orders procured by the branch offices, and therefore the transactions were inter-state sales within the terms of sub- s.(a) of s.3 of the Central Sales Tax Act.

लगातार.....16

In our opinion, that makes no difference at all. The manufacture of the goods at the Hyderabad factory and their movement thereafter from Hyderabad to the branch office outside the State was an incident of the contract entered into with the buyer, for it was intended that the same goods should be delivered by the branch office to the buyer. There was no break in the movement of the goods. The branch office merely acted as a conduit through which the goods passed on their way to the buyer. ***It would have been a different matter if the particular goods had been despatched by the registered office at Hyderabad to the branch office outside the State for sale in the open market and without reference to any order placed by the buyer. In such a case if the goods are purchased from the branch office, it is not a sale under which the goods commenced their movement from Hyderabad. It is a sale where the goods moved merely from the branch office to the buyer. The movement of the goods from the registered office at Hyderabad to the branch office outside the State cannot be regarded as an incident of the sale made to the buyer.***

उक्त प्रकरण में व्यवहारी द्वारा विशिष्ट वस्तु का विशिष्ट आदेशानुसार विक्रय किया गया था। इस निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विशिष्ट माल को Open Market में विक्रय किया जा सके तो उस माल का स्थानान्तरण भी अन्तर्राज्यीय बिक्री नहीं मानी जा सकती। हमारे समक्ष विवादित प्रकरण में पुनः बिना किसी साक्ष्य के Standard Goods को विक्रय माना गया है जबकि वह Open Market में विक्रय योग्य था अतः उक्त प्रकरण के तथ्यों को सामान बताना नितांत गलत पाया गया है।

3. M/s Hyderabad Engineering Vs. State of Andra Pradesh Civil Appeal no. 3781/2003 division dt. 4-03-2011

The findings of the assessing authority with respect to the nature of the transactions with its various branches, except in the case of Calcutta Depot, may be set out in his own words :-

"The assessee company in Hyderabad is engaged in the manufacture of different types of fans and fuel injection parts. In pursuance of the said sales agreement, M/s Usha Sales Limited, Delhi (now Usha International Limited, Delhi) placed monthly indent on HEI Hyderabad for the supply of the goods to its offices in various stages. This indent is sent either by telex or Telephone or through written communication. This indent shows the model wise quantity required in each of the regions and the destinations to which the goods are to be sent are clearly mentioned at Madras, Patna, Agra. At times even based on such indents received from M/s. Usha Sales Ltd. Delhi the assessee company is effecting the movement of goods from its factory in Hyderabad to its own depots in the destination given by the Usha Sales Ltd. Alongwith the goods the assessee is sending gate pass (GPO) Cum Challan proforma invoice, way bill and lorry receipt, which are in the name of its own depot or godown. Simultaneously HEI also sends a direct communication to the "constituent" and further requesting the "constitutent" of the UIL to take delivery. At times, the unit of USL also informs the HEI that it has taken delivery of goods.

In pursuance of the monthly allocation made by the UIL head office New Delhi, the various constituents or units of USL directly correspond with HEI for the dispatch of the goods, such constituents issue telegrams and telex message to HEI for urgent dispatch of the goods.

On receipt of the goods in the out of state depot, the depot incharge prepares invoice in favour of the constituent of M/s Usha Sales Limited such as Nalanda Sales Corporation, Western Sales Corporation, United Sales Corporation etc., generally the names of these purchasing units owned by M/s Usha Sales Ltd. are printed on the invoices issued by the assesses depots, which shown that there cannot be any other purchases.

लगातार.....17

Depot wise stock register is maintained in Hyderabad Factory showing modelwise quantitative particulars of the goods sent to the depot goods sold by the depot and the goods available with the depot as stock at the end of prescribed period.

The Hyderabad factory did not receive only orders or indents from any of its depots. The indent is always placed by M/s Usha Sales Ltd. But for the said indent, neither the Hyderabad factory nor any depot known the model or quantity of goods to be sent or to be received. Neither there is any communication sent by the Marketing Deptt. of the assessee company as they were never received.

On receipt of goods in the out-state depot, an invoice is prepared in favour of the respective unit of M/s. Usha Sales Ltd. (such as Nalanda Sales Corporation etc.) and all the invoices are sent without fail to the Hyderabad factory. In the books of account of the factory, the account of USL is debited for the invoice value and the sales tax collection is credited to the account of the respective State.

The invoice is discounted by the HEI with Canara Bank, Secunderabad and the full amount is received by drawing Hundi on M/s Usha Sales Ltd.

Delhi for 10 days on the due date. USL makes payment to Canara Bank, Delhi and on receipt of such intimation the account of USL is credited in the factory of Hyderabad.

There were no transfers from one depot to another depot. The depot has no option to chose its purchase. No open sales were conducted from the depots. All the sales were affected to different units of USL whose names are printed in the respective invoices as buyers."

The learned senior counsel also contended that the assessing officer is expected to look into each transaction in order to find out whether a completed sale had taken place which could be brought to tax under Section 3(a) of the Central Act. ***Reliance is placed on the Constitution Bench decision of this Court in the case of Tata Engineering and Locomotive Co. Ltd. (supra). We are bound by the view expressed by the Constitution Bench decision of this Court. However, in the present case, the assessing officer has not just picked up a stray transaction to hold that the entire transaction for the entire period of assessment is inter-State sales, which would attract the charging provision. In our considered view, the assessing officer, in his detailed and well considered order, has looked into nearly 378 documents and voluminous correspondence between the assessee and UIL and has discussed and co-related the documents to prove on facts that the disputed transaction is inter-State sales though the assessee claims that it is a mere stock transfer.*** Therefore, we cannot accept the submission of the learned senior counsel in this regard. Bearing in mind the provisions of Section 3(a) of the Central Sales Tax Act, 1956 and on the facts of the case, the transactions in question were inter-State sales taxable under the Central Act.

उक्त प्रकरण के तथ्यों में यह पाया गया था कि व्यवसायी द्वारा माल का स्थानान्तरण एक ही क्रेता **"यूएसएल"** को एक अनुबन्ध के तहत किया गया था एवं कर निर्धारण अधिकारी ने **378 दस्तावेजों** एवं **पत्राचारों** की जांच से एवं अनुबन्ध की शर्तों के साक्ष्यों सहित प्रमाणित किया था कि माल का स्थानांतरण सीधा क्रेता को विक्रय अनुबन्ध की शर्तों के अधीन किया गया था अतः Stock Transfer का विक्रय माना जाना उचित माना गया। इस निर्णय में पुनः माननीय उच्च्तम न्यायालय ने Tata Engineering & Locomotives के निर्णय के दिये गये इस सिद्धान्त की पुष्टि की है कि ऐसे मामलों में प्रत्येक Transaction का परीक्षण करना आवश्यक शर्त है एवं चूंकि उस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 378 दस्तावेजों, लिखित अनुबन्ध की शर्तों एवं पत्राचार से यह प्रमाणित किया था कि Transfer was for sale था अतः माननीय न्यायालय ने इसे विक्रय माना जबकि हमारे समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण में कर निर्धारण

लगातार.....18

अधिकारी ने एक भी दस्तावेज ऐसा प्राप्त नहीं किया जो Transfer and movement of goods for sale को साबित कर सके एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के किसी भी दस्तावेज की जांच नहीं की गई जो उनके सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं कर निर्धारण आदेश से सिद्ध है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निम्न निर्णयों का अध्ययन किया गया, जिसमें धारा 6A के संव्यवहारों सम्बन्धी विवादों पर निर्णय देते हुये विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है :—

1- Tata Engineering & Locomotive Co. ... vs The Assistant Commissioner Of ... on 2 March, 1970 Equivalent citations: 1970 AIR 1281, 1970 SCR (3) 862

Another serious infirmity in the order of the Assistant Commissioner was that instead of looking into each transaction in order to find out whether a completed contract of sale had taken place which could be brought to tax only if the movement of vehicles from Jamshedpur had been occasioned under a convenant or incident of that contract, the Assistant Commissioner made his order on the general basis that all transactions were of a similar nature. The Assistant Commissioner was bound to examine each individual transaction and then decide whether it cons-tituted an Inter-State sale exigible to tax under the provisions of the Act.

उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी संव्यवहार के कर दायित्व निर्धारित करने के पूर्व प्रत्येक संव्यवहार की जांच कर यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वह संव्यवहार अन्तर्राज्यीय विक्रय है अथवा नहीं।

2- Ashok Leland Ltd vs State Of Tamil Nadu And Anr on 7 January, 2004 2004(1) SCR 306

The liability to tax on inter-State sale as contained in Section 6 is expressly made subject to the other provisions contained in the Act. Sub- Section (2) of Section 9, on the other hand, which is a procedural provision starts with the words "subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder". **Section 6A provides for exception as regard the burden of proof in the event a claim is made that transfer of goods had taken place otherwise than by way of sale.** Indisputably, the burden would be on the dealer to show that the movement of goods had occasioned not by reason of any transaction involving sale of goods but by reason of transfer of such goods to any other place of his business or to his agent or principal, as the case may be. **For the purpose of discharge of such burden of proof, the dealer is required to furnish to the assessing authority within the prescribed time a declaration duly filled and signed by the principal officer of the other place of business or his agent or principal. Such declaration would contain the prescribed particulars in the prescribed form obtained from the prescribed authority.** Along with such declaration, the dealer is required to furnish the evidence of such **dispatch of goods by reason of Act 20 of 2002.** In the event, if it fails to furnish such declaration, by reason of legal fiction, such

लगातार.....19

movement of goods would be deemed for all purposes of the said Act to have occasioned as a result of sale. Such declaration indisputably is to be filed in Form F. The said form is to be filled in triplicate. The prescribed authority of the transferee State supplies the said form. The original of the said form is to be filed with the transferor State and the duplicate thereof is to be filed before the authorities of the transferee State whereas the counterfoil is to be preserved by the person where the agent or principal of the place of business of the company is situated.

When the dealer furnishes the original of Form F to its assessing authority, an enquiry is required to be held. Such enquiry is held by the assessing authority himself. He may pass an order on such declaration before the assessment or along with the assessment. Once an order in terms of Sub-Section 2 of Section 6A of Central Act is passed, the transactions involved therein would go out of the purview of the Central Act. In other words, in relation to such transactions, a finding is arrived at that they are not subjected to the provisions of the Central Sales Tax. It is not in dispute thereunder no appeal is provided there against.

उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट अभिनिर्धारित किया गया है कि केन्द्रीय अधिनियम 1956 की धारा 6A के तहत वर्ष 2002 से घोषणा पत्र **एफ** प्रमाण के रुप में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया जाने के पश्चात अब यह प्रमाणिक साक्ष्य (Conclusive Evidence) के रुप में मान्य होगा कि माल का अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण Not By Sale किया गया है एवं इसे स्वीकार करने के पश्चात आदेश परिवर्तनीय नहीं हो सकता।

3- Associates Cement Companies Ltd. vs State Of Orissa on 9 January, 2008 Equivalent citations: 105 (2008) CLT 778, (2008) 13 VST 90 Orissa Petitioner's case is that he has dispatched 74,829.2 MT of cement valued at Rs. 14,21,40,127 during the impugned year from its factory at Bargarh to its branch office in the State of West Bengal otherwise than by way of sale. The movement of goods from the State of Orissa to the State of West Bengal was not occasioned under any contract of sale. There was no inseparable link between the dispatch of goods from Orissa to branch office in West Bengal and again from branch office to stockists and any contract of sale. According to the learned Counsel for the petitioner, there was no separate agreement between the stockists and the company under which 74,829.2 MT of cement valued at Rs. 14,21,40,127 were dispatched from its factory to the stockist. He further submitted that in regular course and in the continuous process, the petitioner transfers/dispatches cement in railway racks to its branch at Kolkata under self-railway receipts. The branch offices of the petitioner at Kolkata endorse the railway receipts in favour of clearing and forwarding agents appointed by the petitioner. The clearing and forwarding agents after taking delivery of the cement carry the same to different dumps taken under rent by the branch office of the petitioner where the cements were stored. Thereafter only the stockists appointed by the petitioner for the State of West Bengal as well as other dealers/persons purchased cement from the godown/dump of the branch office of the petitioner at Kolkata as per their need/requirement.

लगातार.....20

In the case at hand, the goods in question are cement which are standard goods. Cement has not been manufactured by the dealer according to any specification stipulated by the buyer in West Bengal and the same were delivered to them as a result of covenant in any contract of sale. This case is of no help to the Revenue.

उक्त प्रकरण में सीमेन्ट को Standard Goods होने के कारण इसके स्थानान्तरण के पूर्व कोई विशिष्ट निर्माण सम्बन्धी शर्त नहीं होने एवं किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिये किसी अनुबंध के लिये स्थानान्तरण नहीं किया जाने से उसे अन्तर्राज्यीय विक्रय नहीं माना जा सकता।

3- The State Of Tamil Nadu vs Tvl.The Coimbatore Pioneer ... on 17 November, 2009. 30 VST Page 524 (Mad. HC)

Section 6 (A) of the CST Act, 1956 mandates the assessee to substantiate his case that a particular transaction is a consignment sale and not an inter-state sale. Rule 4 (3-A) of the CST (Tamil Nadu) Rules, provides for the particulars to be furnished by the assessee when called for by the Assessing Officer. In the present case on hand, the assessee has proved that the declaration made in Form-F under Section 6(A) is true and in support of his declaration, he has also produced various materials. It is not the case of the Revenue that the intimation given in Form-F by the assessee is not true, genuine and based upon false representation. Therefore, in the absence of any incriminating material contrary to the particulars provided by the assessee, the Assessing Officer cannot hold the declaration given under Form-F is not correct. **The findings to the contrary by the Assessing Officer must be borne out by records and evidence but not on mere speculation and surmises.**

उक्त प्रकरण में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया कि राजस्व द्वारा प्रकरण में घोषणा पत्र **एफ** एवं उसमें की गई प्रविष्टियों को गलत बताये बिना केवल अनुमान के आधार पर स्टॉक ट्रांसफर को विक्रय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

4- ACCT, Bhiwadi v. M/s. Alfa Woven Labels (India) Pvt. Ltd. S.B. Sales Tax Revision Petition No.298/2011, 2016 VOL. 25 VAT REPORT PAGE 261 Date 13.4.2016

"The question boils down to the issue whether the respondent's stock transfer of goods outside the State for sale or was the inter-State movement of the goods in relation to their inter-State sale within the meaning of sec. 3(a) of the Central Act? In my view, for any transaction to become an inter-State sale within the meaning of sec. 3(a) of the Central Act, two conditions are required to be fulfilled, namely (i) that there is inter-State movement of the goods from one State to another (ii) that such inter-State movement of the goods is caused by pre-existing contract of sale between the seller and the ultimate buyer. While the goods have certainly moved outside the State of Rajasthan, but whether such movement of the goods was in pursuance of any pre-existing contract of the sale between the respondent and the ultimate buyer, is required to be considered. The undisputed fact emerge is that direct delivery of the goods on transfer by the factory of the respondent at Bhiwadi, was never taken by the ultimate buyer, outside the State. There is no evidence on record or gathered by the Revenue authorities at the time of survey even or thereafter to establish connection or relation of the ultimate buyer of the goods outside the State with the despatch of the goods by the factory of the respondent at Bhiwadi.

लगातार.....21

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित उक्त आदेश दिनांक 13.4.2016 में धारा 6A के तहत किये गये स्टॉक ट्रांसफर के मामले में विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुये यह पुष्टि की गई है कि सामान्य व्यवसाय के दौरान निर्माता कम्पनी द्वारा नियमित रुप से माल का स्थानान्तरण अपने अन्य राज्य के डिपो में किया जाने एवं डिपो द्वारा नियमित रुप से माल का विक्रय किया जाने की परिस्थिति में स्टॉक ट्रांसफर को अन्तर्राज्यीय विक्रय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में हैदराबाद इन्जिनियरिंग के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में प्रस्तुत तथ्यों को भिन्न बताते हुये यह टिप्पणी की है कि उस प्रकरण में ऐसे साक्ष्य रेकार्ड पर लाये गये थे जिसमें विशिष्ट माल का स्थानान्तरण किसी विशिष्टि ग्राहक के लिये किया गया था, जबकि उक्त प्रकरण में ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त किये बिना ही स्टॉक ट्रांसफर को अन्तर्राज्यीय विक्रय माना गया है जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विधिविरुद्ध अवधारित किया गया है।

माननीय न्यायालयों के उक्त न्यायिक दृष्टांतों में यह स्पष्ट अभिनिर्धारित है कि किसी स्टॉक ट्रांसफर के संव्यवहारों को विक्रय संव्यवहार निर्धारित करने के लिये ऐसे साक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है जो माल का गमनागमन क्रयादेश के अनुसरण में होना प्रमाणित करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हैदराबाद इन्जिनियरिंग के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के टाटा इन्जिनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी के निर्णय में दिये गये इस सिद्धांत की पुनः पुष्टि की है कि किसी भी संव्यवहार के मामले में प्रत्येक संव्यवहार की जांच करना आवश्यक है, जबकि उक्त प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी भी संव्यवहार की जांच नहीं की गई है।

उक्त समस्त विवेचन एवं तथ्यात्मक जांच पर यह पाया गया है कि जांच अधिकारी ने शंभूपुरा यूनिट एवं कोटपूतली यूनिट पर कोई जांच ही नहीं की एवं न ही वहां के किसी भी प्रकार के दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं न हीं माल के ट्रांसफर में प्रयुक्त ट्रांसपोर्ट कम्पनी के कार्यालय की जांच की गई। इस तरह बिना किसी विपरीत साक्ष्य प्राप्त किये एवं बिना कोई अभियोग स्थापित किये अपीलार्थी पर करापवंचन वृत के अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार प्राप्त करना अविधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि कम्पनी द्वारा Non Specific Goods (Standard Goods) Cement का नियमित Transfer ट्रक, ट्रोलों एवं रेलवे के माध्यम से किया था, एवं माल का Movement किसी विशेष ग्राहक के लिये होने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था एवं न ही जांच अधिकारी द्वारा किये गये सर्वेक्षण में ऐसा कोई अभियोग बनाया गया था। अपीलार्थी के नियमित कर निर्धारण अधिकारी, वृत–एन, जयपुर द्वारा केन्द्रीय अधिनियम, 1956 की धारा 6A(1) & (2) के शर्तो की पूर्ण पालना होना स्वीकार कर जो आदेश पारित किये गये है, उनमें किसी भी तरह की अनियमितता का कोई साक्ष्य धारा 6A(3) के अनुसार Discover किये बिना ही अपीलाधीन आदेश धारा 25 में पारित किये गये है, वे अविधिक होने से अपास्त किये जाते है।

लगातार.....22

इसके अतिरिक्त Central Excise Dept. द्वारा जारी नोटिस के आधार पर वर्ष 2012–13 के आदेश में जो कर आरोपित किया गया है वह भी पूर्व में किये गये विवेचनानुसार अविधिक होने से अपास्त किया जाता है।

फलतः समस्त अपीलाधीन आदेशों को अपास्त कर व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य